तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28+8	सम्पूर्णानन्द प्रसाद धारा 88, 188 प्र.सं. 102/2017 पत्रावली समाप्त लोक अदालत हेतु माध्यस्थम में पेश हुई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादीगण के द्वारा वादपत्रावली प्रस्तुतीकरण के आधार पर वाद पेश किया गया है। एकपक्षीय प्रस्तुतीकरण के आधार पर खोटपाटी देने का प्रावधान नहीं होने से वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। रिकार्डेड कब्जा का पार्टी निपटारा से प्रतिबन्धित नहीं किया जा सकता है। वाणिज्यिक परियोजनार्थ भूमि का वाद सुनने क्षेत्राधिकार सामान्य न्यायालय को नहीं है। अतः यह वाद क्षेत्राधिकार/विचाराधिकार बाधित होने के कारण वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार डिक्रीदारी है। प्रमाण कैलाश कुमार के मोबाइल नम्बर से कब्जे तथा वाद दाखिल करिष्ठ लोक अभिभाषक। निर्णय सामान्य लोक अदालत हेतु कोई माध्यस्थम के समक्ष अपील में लिखवाया जाकर सुनाया गया।	

सहायक कलक्टर
गोड्डा